

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) पंजाब एवं यू.टी. चण्डीगढ़ की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वित्त वर्ष 2021-22 की तिमाही बैठक दिनांक 10.08.2021 को सायं 3:00 बजे श्री होवैदा अब्बास, प्रधान महालेखाकार के सभापतित्व में संपन्न हुई। इस बैठक में 30.06.2021 को समाप्त हुई तिमाही की प्रगति रिपोर्ट पर विचार-विमर्श हुआ। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-


क्रमांक	नाम व पदनाम	अभ्युक्ति
1.	श्री आकाश गोयल, व.उप महालेखाकार (पेंशन )	सदस्य
2.	सुश्री भानुमती नाथन, उप महालेखाकार (प्रशा, लेखा एवं वी.एल.सी.)	सदस्य
3.	सुश्री राजबाला, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
4.	श्री मुख्त्यार सिंह, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
5.	श्री सरवन लाल कटोच, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
6.	श्री संजीव ठाकुर, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
7.	श्री जतिन्द्र पाल मलिक, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
8.	सुश्री सीमा गुप्ता, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
9.	श्री गुरप्रताप सिंह, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
10.	सुश्री मधु सैनी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
11.	श्री रविन्द्र सिंह, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
12.	श्री राजीव कुमार बंसल, पर्यवेक्षक	सदस्य
13.	सुश्री एकता, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक	सदस्य
14.	श्री मनीष कुमार, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	सदस्य
15.	श्री अंकित कुमार, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	सदस्य

1. गत बैठक के कार्यवृत्तों का पुनर्निरीक्षण और पुष्टि:-  
बैठक में गत बैठक के कार्यवृत्तों का पुनर्निरीक्षण कर उनकी पुष्टि कर दी गई।
2. 30-06-2021 को समाप्त हुई तिमाही की हिन्दी प्रगति रिपोर्ट पर विचार-विमर्श:-  
30-06-2021 को समाप्त हुई तिमाही की हिन्दी प्रगति रिपोर्ट पर विचार-विमर्श हुआ। 'क' और 'ख' क्षेत्रों के लिये हिन्दी पत्राचार के 90 प्रतिशत निर्धारित लक्ष्य के सामने इस कार्यालय से 'क' 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र के साथ पत्राचार क्रमशः 87.06 प्रतिशत, 91.88 प्रतिशत तथा 68.42 प्रतिशत रहा जिस पर अध्यक्ष महोदय ने संतोष व्यक्त किया।
3. हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय/गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के आदेशों का कार्यान्वयन:  
बैठक में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय/गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग से प्राप्त आदेशों और निर्देशों के विषय में

सभापति महोदय को इस तथ्य से अवगत कराया कि सभी संबंधित आदेशों और निर्देशों पर यथानुसार कार्रवाई कर दी गई और उन्होंने इस संबंध में संतोष व्यक्त किया।

4. **अंकुर पत्रिका के संबंध में-**  
हिंदी पत्रिका अंकुर के संबंध में प्र. महालेखाकार महोदय ने आदेश दिया कि अंकुर पत्रिका के इस अंक और अगले अंक को जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए। पत्रिका का अंक 114-117 प्रकाशन हेतु भेजा जा चुका है। अंक 118-121 को भी प्रकाशन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।
5. **पी.पी.ओ. इंटिमेशन को द्विभाषी करने के संबंध में-**  
प्रधान महालेखाकार महोदय ने निदेश दिया है कि पेंशन अनुभाग में पी.पी.ओ. इंटिमेशन को द्विभाषी किया जाए, जिसके लिए हिंदी अनुभाग से अनुवाद संबंधी सहायता ली जाए, जिससे हिंदी पत्राचार में वृद्धि हो सके।
6. **हिंदी पखवाड़ा 2021 के संबंध में-**  
प्रधान महालेखाकार महोदय ने यह आदेश दिया है कि इस वर्ष कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हिंदी पखवाड़े में हिंदी निबंध तथा हिंदी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन आनलाइन माध्यम से किया जाए।
7. **टंकण प्रशिक्षण के संबंध में-**  
प्रधान महालेखाकार महोदय के आदेशानुसार आनलाइन टंकण प्रशिक्षण में अधिक से अधिक कर्मचारियों को नामित किया जाए।
8. **हिंदी पत्रिका हंस मंगवाने के संबंध में-**  
प्रधान महालेखाकार महोदय ने आदेश दिया है कि कार्यालय में मासिक हिंदी पत्रिका हंस मंगवाने के लिए सी.आर.टी. को लिखा जाए।

सभापति महोदय के प्रति धन्यवाद-प्रस्ताव के साथ बैठक सम्पन्न हुई।



व.उप महालेखाकार(प्रशासन)

क्र:- हिं.क./रा.का.स./21-22/97-98

दिनांक:- 27-08-21

प्रतिलिपि:-

1. **सूचना प्रौद्योगिकी सहायता कक्ष:-** इस अनुरोध के साथ कि इन कार्यवृत्तों को सभी सदस्यों के सूचनार्थ/अनुपालन हेतु कार्यालय की वेबसाइट पर 'हिंदी कॉर्नर' में अपलोड करने की व्यवस्था करें।
2. **उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, उत्तर क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-1 (दिल्ली), त्रिकूट-2, तृतीय तल, भीकाजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066**

  
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (हिंदी)